मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की ईको हर्बल पार्क सैक्टर–9 में पार्किंग स्थल की नीलामी व प्रवेश शुल्क हेतु सामान्य नियम व शर्तें

<u>निविदा की शर्तें निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:–</u>

1. निविदा सह–नीलामी दिनांक 10.11.2021 को प्राधिकरण सभागार कक्ष में आयोजित की जायेगी। बोलीदाता दिनांक 10.11.2021 को दोपहर 12:00 बजे तक जमानत धनराशि सहित अपना सील्ड ऑफर जमा कराकर नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु टोकन प्राप्त कर सकते हैं।
2. ऑफर एक वर्ष की अवधि (दिनांक 01.12.2021 से 30.11.2022 तक) हेतु दिया जायेगा। दिनांक 01.12.2021 से पूर्व ऑफर स्वीकृत होने एवं कब्जा हस्तान्तरित होने की स्थिति में तद्‌दिनांक से दिनांक 30.11.2022 तक की अवधि हेतु अनुपातिक रूप में धनराशि की गणना करते हुए जोड़ी जायेगी।
3. ठेके की अवधि कब्जा प्राप्त होने की तिथि से एक वर्ष अर्थात दिनांक 30.11.2022 के लिए होगी।
4. बोलीदाता पर पिछली कोई बकाया धनराशि नहीं होनी चाहिए।
5. बोलीदाता/ठेकेदार द्वारा ठेके को चलाने से सम्बन्धित समस्त व्यय स्वयं वहन करेगा। व्यय धनराशि को ठेके की धनराशि में सम्मलित नहीं किया जायेगा।
6. पार्किंग हेतु निर्धारित स्थल पर अन्य किसी प्रकार का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जाना प्रतिबंधित होगा।
7. पार्किंग हेतु स्थल पर खड़े किये जाने वाले वाहनों के पार्किंग शुल्क की वसूली निम्नलिखित निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी, जो प्रति 04 घण्टे हेतु निम्नवत् होगी।

साईकिल	रू0 5.00
मोटरसाईकिल/स्कूटर	रू0 10.00
कार/अन्य हल्के वाहन	रू0 20.00

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की ईको हर्बल पार्क सैक्टर–9 में पार्किंग स्थल की नीलामी व प्रवेश शुल्क हेतु सामान्य नियम व शर्तें

8. पार्क में प्रवेश शुल्क निम्नानुसार देय होगाः–

05 वर्ष तक की उम्र के बच्चों पर	कोई शुल्क नहीं
05 वर्ष से ऊपर	रू0 10.00

9. पार्क में प्रवेश हेतु विक्रय किये गये टिकटों की संख्या माहवार तथा श्रेणीवार प्राधिकरण में प्रत्येक त्रैमास में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
10. पार्किंग स्थल पर खड़े किये किये जाने वाले वाहनों की संख्या श्रेणीवार (साईकिल, स्कूटर एवं कार) का माहवार प्रत्येक त्रैमास में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. पार्किंग स्थल पर ठेकेदार द्वारा जो भी वाहन आदि खड़े किये जायेंगे, उनकी सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
12. इस नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता को मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद के पक्ष में जमा करना होगा, जो संतोषजनक कार्य समाप्ति के उपरान्त एवं कार्य स्थल को किसी प्रकार की क्षति अथवा हानि न पहुंचाये जाने के प्रमाण पत्र व कोई देयता न होने की पुष्टि उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
13. उच्चतम बोलीदाता को ऑफर स्वीकृति के उपरान्त निम्नानुसार भुगतान प्राधिकरण को करना होगाः–

- स्वीकृत ऑफर की 25 प्रतिशत धनराशि ऑफर स्वीकृति के एक सप्ताह के अन्दर जमा करानी होगी।
- शेष 75 प्रतिशत धनराशि तीन समान किस्तों में निम्नानुसार प्रत्येक तिमाही से पूर्व अग्रिम भुगतान की जानी होगी।

1	स्वीकृत ऑफर की 25 प्रतिशत धनराशि प्रथम किस्त	दिनांक 28.02.2022 तक
2	स्वीकृत ऑफर की 25 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किस्त	दिनांक 31.05.2022 तक
3	स्वीकृत ऑफर की 25 प्रतिशत धनराशि तृतीय किस्त	दिनांक 31.08.2022 तक

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की ईको हर्बल पार्क सैक्टर–9 में पार्किंग स्थल की नीलामी व प्रवेश शुल्क हेतु सामान्य नियम व शर्तें

- निर्धारित अवधि में धनराशि जमा न करने पर 18 प्रतिशत ब्याज की दर से विलम्ब अवधि का ब्याज देय होगा एवं लगातार प्राधिकरण द्वारा तीन नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी जमा न करने पर ठेका निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तीन बार के नोटिस की कुल अधिकतम समय सीमा 45 दिन होगी। 45 दिन के उपरान्त अनिवार्य रूप से ठेका निरस्त कर जमानत धनराशि जब्त करली जायेगी।
- यदि ठेकेदार/बोलीदाता द्वारा कोई प्राधिकरण को देय धनराशि जमा नहीं करायी जाती है और उसके द्वारा जमा की गयी जमानत राशि से अधिक की देयता होती है, तब इस अन्तर की धनराशि को उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–40 के तहत भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।
- ऑफर स्वीकृति के उपरान्त अधिकतम 15 दिनों में अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, अन्यथा जमानत धनराशि जब्त करते हुए बोलीदाता को आगे प्राधिकरण में नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा।
- अनुबन्ध निष्पादन हेतु जो भी स्टाम्प देयता होगी उसे बोलीदाता स्वयं वहन करेंगे और इस धनराशि की प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा नहीं की जायेगी।

14. द्वितीय व तृतीय अधिकतम बोलीदाताओं की जमानत धनराशि निविदा/ऑफर पर अन्तिम निर्णय के उपरान्त ही वापिस की जायेगी।
15. प्रत्येक बोलीदाता को जिलाधिकारी, मुरादाबाद के द्वारा वर्तमान में जारी चरित्र प्रमाण पत्र तथा मूल निवास या निवास से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व पहचान पत्र लगाना अनिवार्य होगा।
16. ठेके की अवधि में प्राकृतिक आपदा, कर्फ्यू शहरबन्द आदि अन्य किसी प्रकार की आपदा से ठेकेदार को होने वाली हानि की जिम्मेदारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की नहीं होगी।
17. जिला प्रशासन तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद अधिकारी/कर्मचारियों के वाहन पार्किंग शुल्क की वसूली से मुक्त रहेंगे। प्रवेश शुल्क भी मुक्त होगा।
18. ठेके के सम्बन्ध में केन्द्र/राज्य सरकार का कोई अतिरिक्त कर यदि ठेके पर आरोपित किया जाता है तो उसको वहन करने की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद की ईको हर्बल पार्क सैक्टर–9 में पार्किंग स्थल की नीलामी व प्रवेश शुल्क हेतु सामान्य नियम व शर्तें

19. उपरोक्त के अतिरिक्त किसी वाद/विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
20. डिफाल्टर होने की दशा में फर्म को Blacklist कर दिया जायेगा एवं भविष्य में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा।
21. बोलीदाता को आयकर की धारा–206(सी) के अन्तर्गत 02 प्रतिशत टी0सी0एस0 का शुल्क अलग से देय होगा।
22. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर दी गयी स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी एवं किसी भी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं किया जायेगा।

नीलामी की तिथि : 10.11.2021
समय : अपराह्न 12:00 बजे
स्थान : प्राधिकरण कार्यालय सभागार कक्ष नया मुरादाबाद दिल्ली रोड़ स्थित

क्र0सं0	कार्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2021–22 हेतु आरक्षित मूल्य (लाख में)	जमानत धनराशि (लाख में)	निविदा मूल्य जी0एस0टी0 सहित
1	नया मुरादाबाद योजना के सैक्टर–09 में हर्बल पार्क में पार्किंग स्थल की नीलामी व प्रवेश शुल्क का कार्य।	35.00	3.50	1500.00

नियम व शर्तेः– कार्य से सम्बन्धित निविदा सह–नीलामी की समस्त शर्तें, नियम आदि की जानकारी मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सम्पत्ति अनुभाग अथवा प्राधिकरण की वेबसाइट www.mdamoradabad.org पर देखी जा सकती है।

उपाध्यक्ष,

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद।